



परियोजना का नाम :-	शा0 संख्या-41/111-2/04-55 (बजट)/04 दिनांक 30/3/2005 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरउ ललउ मसराड मोटर मार्ग का विस्तार मलेथा दातनू बडनू मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । कि०मी० 1 से 8.000 तक
--------------------	---


एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश आदेश संख्या 5-3/2007- एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता नियता निम्नानुसार है:-

1. ईको- क्लास श्रेणी ..... V .....
2. हरियाली का घनत्व ..... 0.2
3. एन०पी०वी० की दर प्रति है० रूपये - 8,45,000 = 00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल - 2.0825 है०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि - 17,59,712 = 50 रु 17,59,713 = 00

  
वन क्षेत्राधिकारी  
वन प्रशासक  
रीबन् प्रजा  
चकराता वन प्रभाग


  
वन प्रशासक  
चकराता वन प्रभाग  
कालसी

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
चकराता वन प्रभाग  
चकराता देहरादून


परियोजना का नाम	:- शा0 संख्या-41/111-2/04-55 (बजट)/04 दिनांक 30/3/2005 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी के हमरउ ललउ मसराड मोटर मार्ग का विस्तार मलेथा दातनू बडनू मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । कि0मी0 1 से 8.000 तक
-----------------	---

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता  
अ0 खण्ड,  
लो0नि0वि0,सहिया



सहायक अभियन्ता  
अ0 खण्ड,  
लो0नि0वि0,सहिया



अधिसासी अभियन्ता  
अ0 खण्ड,  
लो0नि0वि0,सहिया